राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 2361 दिनांकः 28.02.2020

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, चूरू, धौलपुर,
जैसलमेर, जालौर, झुंझुंनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर एवं सिरोही।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव, 2020 – प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों के आम चुनाव प्रकिया को पूर्ण करने के संबंध में।

संदर्भः– आयोग का पत्रांक 6256/26.12.2019 एवं 424 दिनांक 09.01.2020

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में सरकार द्वारा किये गये परिसीमन के विरूद्ध 85 याचिकाएं प्रस्तुत हुई जो DB Civil Writ Petition No. 17993/2019 Jai Singh vs State of Rajasthan and others में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 द्वारा निस्तारित की गई।

इस निर्णय के पश्चात् पंचायतीराज विभाग के पत्र दिनांक 16.12.2019 द्वारा जिला कलक्टर्स को **वार्डो के गठन एवं आरक्षण** हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

पंचायतीराज विभाग द्वारा आरक्षण अंतिम किए जाने के पश्चात् पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच के चुनाव कराने हेतु आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2019 के द्वारा तीन चरणों का कार्यक्रम जारी किया गया। इसके पश्चात् शेष रही पंचायतों के लिए दिनांक 04.01.2020 को चतुर्थ चरण का कार्यक्रम जारी किया गया।

प्रथम चरण में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के सरपंच एव पंच के लिए दिनांक 07.01.2020 को लोक सूचना जारी की गई, जिसके अनुसार दिनांक 08.01.2020 को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने, दिनांक 09.01.2020 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, वापसी, एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2019 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 30471/2019 माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की कियान्विति को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 09.01.2020 के द्वारा चुनाव कार्यक्रम में सम्मिलित ग्राम पंचायतों की सूची को संशोधित करते हुए राज्य सरकार की दिनांक 15/16.12.2019 के पश्चात् की परिसीमन संबंधी अधिसूचनाओं से प्रभावित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों को सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त आदेश के क्रम में 1119 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच पदो के नाम निर्देशन पत्र एवं निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों कों सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।

विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 24.01.2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न आदेश प्रदान किए गए:–

"For the reasons, interlocutory application for impleadment being I.A. No. 12824 of 2020, is allowed and the applicant is impleaded as party respondent.

We have heard learned Senior Counsel appearing for the parties and perused the interlocutory application being I.A. No. 10689 of 2020, for directions filed by the petitioners-State.

Mr. K.V. Vishwanathan, learned Senior Counsel appearing for the newly added respondent -State Election Commission, states that the elections will be in accordance with the notifications dated 15/16-11-2019, 01-12-2020, and 12-12-2020. He further states that the elections will be held according to law in ghe second half of April, 2020.

Order accordingly."

उक्त निदेशों के क्रम में पंचायतीराज विभाग द्वारा दिनांक 15/16.12.2019 के पश्चात् परिसीमन हेतु जारी समस्त अधिसूचनाओं के आधार पर आरक्षण करने हेतु आदेश दिनांक 24.01.2020 एवं दिनांक 27.01.2020 द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए गए।

पंचायती राज विभाग के उक्त आदेश दिनांक 24.01.2020 एवं दिनांक 27.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1693/2020 एवं उसके साथ 17 अन्य याचिकाएं प्रस्तुत कर चुनौति दी गई। याचिका संख्या 1390/2020 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.01.2020 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न आदेश प्रदान किये:–

"In the meanwhile, if any lotteries are drawn by the respondents pursuant to the order dated 24.1.2020, the same shall remain subject to the final outcome of the present writ petitions and shall not be given effect without prior permission of the Court."

राज्य सरकार द्वारा किए गए नवीन आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन होने और माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 30.01.2020 के कारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में से प्रथम चरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के निर्णय को लम्बित रखा गया।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा उक्त याचिकाओं को निर्णित करते हुए दिनांक 26.02.2020 को निम्नानुसार निस्तारित कर दिया गया–

"In view of the above discussion, the order passed by the State Election Commission dated 9/1/2020 and order passed by the State dated 24/1/2020 and subsequent orders thereto do no call for any interference. The individual challenges laid to the draw of lotteries also, for lack of any substance are rejected. Consequently, the writ petitions are dismissed. Stay applicationsalso stand disposed of.

No order as to costs."

आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 09.01.2020 के अनुसार सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए नाम निर्देशन पत्रों वाली 1119 ग्राम पंचायतों में से संलग्न सूची में अंकित 707 ग्राम पंचायत, जिनका पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 15/16.11.2019 के पश्चात की अधिसूचनाओं से नहीं किया गया है एवं सरपंच एव पंच पदों के पुनः आरक्षण बाद भी पूर्वानुसार ही उसी वर्ग/जाति के लिए आरक्षित हैं।

चुनाव के संबंध में प्रथम चरण में सम्मिलित उक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच एव पंच के लिए दिनांक 07.01.2020 को लोक सूचना जारी की गई, जिसके अनुसार दिनांक 08.01.2020 को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने, दिनांक 09.01.2020 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, वापसी, एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

इन ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच पद के निर्वाचन को पूर्ण करने में अब कोई विधिक अडचन नहीं हैं, अतः इनकी चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।

1. निर्वाचन की अग्रिम प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
1.	मतदान दलों की रवानगी	14.03.2020
2.	मतदान की तिथि एवं समय	15.03.2020 (प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
3.	मतगणना की तिथि एवं समय	15.03.2020 (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
4	उप सरपंच के चुनाव की तिथि	16.03.2020

2. उक्तानुसार चुनाव की शेष प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु पूर्व में जारी की गई लोक सूचना के क्रम में संशोधित लोक सूचना दिनांक 03.03.2020 को जारी की जाए। संशोधित लोक सूचना में उक्त कार्यक्रम का स्पष्टतः अंकन किया जाए।
3. सरपंच पद का चुनाव मतदान मशीन (EVM) एवं पंच पद का चुनाव मतपत्र से कराया जायेगा।
4. निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में चुनाव परिणाम घोषित कर निर्वाचित उम्मीदवार को नियमानुसार निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
5. उप सरपंच का चुनाव यथासंभव ग्राम पंचायत भवन में कराया जाए।
6. आयोग के इस कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान प्रभावी हो जाएगें।
7. चुनाव के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश/निर्देश इस चुनाव में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें।
8. चुनाव कार्यक्रम का ग्राम पंचायत के मतदाताओं की जानकारी में लाए जाने हेतु उचित माध्यमों से पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाए।
9. यदि संलग्न सूची में ऐसी कोई ग्राम पंचायत सम्मिलित है, जो पुनर्गठन एवं पुनः आरक्षण से प्रभावित है, तो उसके लिए संशोधित लोक सूचना जारी नहीं की जाए एवं सूचना आयोग को तुरन्त प्रेषित की जाए।

आयोग के उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न : 707 ग्राम पंचायतों की सूची।

आज्ञा से,

28/12

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 2362-68 दिनांक: 28.02.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग सचिवालय जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
7. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

28/2/2020.

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान